न्यायालय-सिविल जज (सी०डि०)एफ.टी.सी./अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आजमगढ़।

प्रकीर्ण वाद सं०-546/2026
उजाला कुमारी बनाम अमन कुमार आदि
अन्तर्गत धारा-173 (4) बी.एन.एस.एस.
थाना-रानी की सराय, जनपद आजमगढ़।

दिनांक 21.05.2026

1- पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173 (4) बी.एन.एस.एस. पर विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है।

2- पत्रावली पर उपलब्ध थाना रानी की सराय, की रिपोर्ट दिनांकित **24.03.2026** के अनुसार मामले में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

3- संक्षेप में प्रार्थना पत्र पर कथन किया गया है कि प्रार्थिनी उजाला कुमारी पुत्री विजेन्द्र ग्राम मोलनापुर माफी, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़ की निवासिनी है। प्रार्थिनी की उम्र वर्तमान में करीब 19 वर्ष 6 माह है। प्रार्थिनी से नाबालिक के समय से ही सन् 2023 से अमन कुमार पुत्र बाढू राम ग्राम गोरखपुर महराजगंज, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़ ने शादी का झॉसा देकर सम्बन्ध बनाता रहा एवं प्रार्थिनी के घर आता जाता रहा। प्रार्थिनी गर्भवती हो गयी तो शादी करने के लिए बार-बार कहने लगी तो अभियुक्त अमन कुमार अपने पिता बाढू, माता फूलमती, बहन इन्द्रकला को लेकर मुझसे मिला और सभी लोग मिलकर कहने लगे कि एबार्सन करा लो तब शादी कर लिया जायेगा। प्रार्थिनी कही करीब 4 माह का गर्भ है दिक्कत होगी फिर भी लोगों ने जिद करके प्रार्थिनी को दवा खिलाये और प्रार्थिनी का एबार्सन हो गया। प्रार्थिनी को कचहरी में ले जाकर फोटो लगवाकर दस्तखत कराये और कहे कि अब हमारा कागजात बन गया है अब तुम व तुम्हारे परिवार वाले कुछ नहीं बिगाड़ पायेगे और प्रार्थिनी को धोखा देकर भाग निकले कई बार साथ में रहने का प्रयास करने पर प्रार्थिनी व प्रार्थिनी के माता-पिता व परिवार वालों को मारने की धमकी दे रहे है। प्रार्थिनी थाने पर इस घटना के बावत सूचना दिया दरोगा जी आज कल करते रहे परन्तु कोई कार्यवाही नही किये। तब दिनांक 21.02.2026 को जरिये डाक रजिस्ट्री श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद आजमगढ़ को प्रार्थना पत्र दिया गया परन्तु वहां से भी आज तक कोई कार्यवाही नही हुई मजबूर होकर श्रीमान् के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है।

4- अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ-पत्र, पुलिस अधीक्षक को प्रेषित प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि, रजिस्ट्री टिकट की छायाप्रति व आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल की गयी है।

5- पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थिनी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि अभियुक्त प्रार्थिनी से नाबालिग के समय से ही सन् 2023 से शारीरिक सम्बन्ध बना रहा है। प्रार्थिनी द्वारा किये गये उक्त कथन से प्रस्तुत प्रकरण प्रथम दृष्टया पाक्सो ऐक्ट से सम्बन्धित प्रतीत होता है जिससे सम्बन्धित क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र की सुनवाई से सम्बन्धित क्षेत्राधिकारिता के अभाव में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी.एन.एस.एस.निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी.एन.एस.एस. निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(अतुल पाल)
सिविल जज (सी०डि०)एफ.टी.सी./
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
आजमगढ़।